न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या — 1122 / 2024

अनवान :—

1. लीलाधर पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. गिरदावरी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री सुरेश कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक: 23/05/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 38 / 37 की कुल 0.9730 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 9 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 34 / 34 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका दर्ज होने से वादी व प्रतिवादीगण का आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है ।इसलिए वादी अपने हक हिस्सा के मुताबिक अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 38 / 37 की कुल 0.9730 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 9 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 34 / 34 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगाान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 [illegible] 2 ने जरि[illegible]क्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल इस आशय का पे[illegible]म तहसील नोहर के खाता स0 38 / 37 के प0न0 383 / 47[illegible] से प्रतिवादी स0 [illegible] पास किला न0 14 / 2 / 1 की 0.1344 हैक्ट भूमि, 15 / 1 की 0.17[illegible] हैक्ट, 15 / 2 की 0.[illegible] हैक्ट कुल 0.3244 हैक्ट तथा प्रतिवादी स0 1 के पास किला न0 12 / 2 / 1 की 0.0797 हैक्ट, 13 / 2 की 0.190

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:16:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

हैक्ट, 14/2 की 0.0546 हैक्ट कुल 0.3243 हैक्ट तथा वादी के पास किला न0 9/1 की 0.038 हैक्ट, 11/2 की 0.177 हैक्ट, 12/2 की 0.1093 हैक्ट कु 0.3243 हैक्ट भूमि तथा खाता स0 34/34 मे प0न0 386/473 (58) प्रतिवादी स0 2 के पास किला न0 2 की 0.0843 हैक्ट, तथा प्रतिवादी स0 1 के पास 2/1 की 0.0843 हैक्ट तथा वादी के पास किला न0 2/2 की 0.0844 हैक्ट भूमि रहेगी। इसी अनुसार हम पक्षकारान का खाता व लगान अलग किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की मुताबिक सहमति के उक्त वाद भूमि का खाता व लगान अलग किया जाता है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 38/37 की कुल 0.9730 हैक्ट भूमि व रोही मौजा 9 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 34/34 की कुल 0.2530 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहकाश्तकारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। संयुक्त खाते का कोई भी सहखातेदार काश्त की सुविधा को देखते हुए अपने रिकार्ड में धारित रकबे की हद तक अच्छी मंदी भूमि को ध्यान में रखते हुए खाता व लगान अलग करवाने का अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा सहमति/राजीनामा इस आशय का पेश किया गया है कि जवाब इकबाल इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 38/37 के प0न0 383/470 किला न0 24 में से प्रतिवादी स0 2 के पास किला न0 14/2/1 की 0.1344 हैक्ट भूमि, 15/1 की 0.1740 हैक्ट, 15/2 की 0.160 हैक्ट कुल 0.3244 हैक्ट तथा प्रतिवादी स0 1 के पास किला न0 12/2/1 की 0.0797 हैक्ट, 13/2 की 0.190 हैक्ट, 14/2 की 0.0546 हैक्ट कुल 0.3243 हैक्ट तथा वादी के पास किला न0 9/1 की 0.038 हैक्ट, 11/2 की 0.177 हैक्ट, 12/2 की 0.1093 हैक्ट कु 0.3243 हैक्ट भूमि तथा खाता स0 34/34 मे प0न0 386/473 (58) प्रतिवादी स0 2 के पास किला न0 2 की 0.0843 हैक्ट, तथा प्रतिवादी स0 1 के पास 2/1 की 0.0843 हैक्ट तथा वादी के पास किला न0 2/2 की 0.0844 हैक्ट भूमि दर्ज की जाती है तो हम पक्षकारान को कोई ऐतराज नही है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 38/37 के प0न0 383/470 (24) के किला न0 14/2/1 की 0.1344 हैक्ट भूमि, 15/1 की 0.1740 हैक्ट, 15/2 की 0.160 हैक्ट कुल 0.3244 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार का[illegible] घोषित किया जाता है तथा किला न0 12/2/1 की 0.0797 हैक्ट, 13/[illegible] की [illegible] हैक्ट, [illegible] की 0.0546 हैक्ट कुल 0.3243 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला न0 9/1 की 0.038 हैक्ट, 11/2 की 0.177 हैक्ट, 12/2 की 0.1093 हैक्ट कुल 0.3243 हैक्ट भूमि का वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:16:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 9 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 34/34 मे प0न0 386/473 (58) के किला न0 2 की 0.0843 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला न0 2/1 की 0.0843 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला न0 2/2 की 0.0844 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद ~~कर मुताबिक तजरीय नक्शा तरमीम~~ कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 23/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:16:01 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 1122 / 2024

अनवान :–

1. लीलाधर पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. गिरदावरी पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. पवन कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1122 सन 2024 निर्णय दिनांक 23/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक सहमति / राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 10 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 38 / 37 के प0न0 383 / 470 (24) के किला न0 14 / 2 / 1 की 0.1344 हैक्ट भूमि, 15 / 1 की 0.1740 हैक्ट, 15 / 2 की 0.160 हैक्ट कुल 0.3244 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला न0 12 / 2 / 1 की 0.0797 हैक्ट, 13 / 2 की 0.190 हैक्ट, 14 / 2 की 0.0546 हैक्ट कुल 0.3243 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला न0 9 / 1 की 0.038 हैक्ट, 11 / 2 की 0.177 हैक्ट, 12 / 2 की 0.1093 हैक्ट कुल 0.3243 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 9 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 34 / 34 मे प0न0 386 / 473 (58) के किला न0 2 की 0.0843 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला न0 2 / 1 की 0.0843 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा किला न0 2 / 2 की 0.0844 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर ~~मुताबिक नजरीय नक्शा तरमीम कर~~ राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.27 18:16:01 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
नोहर